# FIRST INFORMATION REPORT
**(Under Section 154 Cr.P.C.)**

**प्रथम सूचना रिपोर्ट**

**(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)**

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2023

**FIR No. (प्र.सू.रि. सं.):** 0019 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 03/08/2023 12:49 hrs

2.

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धारा(एँ)) |
|---|---|---|
| 1 | HARYANA DEVELOPMENT AND REGULATION OF URBAN AREAS ACT,1975 | 10 |
| 2 | THE PUNJAB SCHEDULED ROADS AND CONTROLLED AREAS RESTRICTION OF UNREGULATED DEVELOPMENT ACT, 1963 | 12 |
| 3 | IPC 1860 | 120-B |
| 4 | IPC 1860 | 420 |
| 5 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(2) |
| 6 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(1)d |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

**Time Period (समय अवधि):** **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/08/2023 **Time (समय):** 12:30 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 007 **Date and Time (दिनांक और समय):** 03/08/2023 12:49 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 10 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

**(b) Address (पता):** अम्बाला छावनी,अम्बाला

**(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

**District (State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** सुबे सिंह निरीक्षक

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1971 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

**Date of Issue (जारी करने की दिनांक):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

| S. No. (क्र.सं.) | ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) | ID Number (पहचान संख्या) |
|---|---|---|

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

| S.No. (क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | **Present Address** | **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उप केन्द्र कैथलKAITHAL, HARYANA, INDIA** |
| 2 | **Permanent Address** | **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उप केन्द्र कैथलKAITHAL, HARYANA, INDIA** |

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

**7.** **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

| S. No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Present Address(वर्तमान पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कृष्ण कुमार यादव | | | 1. तत्कालिन सचिव नगर निगम,अम्बाला छावनी,हाल मानेसर,AMBALA CANTT,AMBALA,HARYANA,INDIA |
| 2 | मोहन लाल लिपिक सेवा निवृ़ित | | | 1. तत्कालिन लिपिक,नगर परिषद,अम्बाला छावनी,AMBALA CANTT,AMBALA,HARYANA,INDIA |
| 3 | विक्रम कत्याल | | | 1. अनुबन्धित कलर्क,नगर निगम अम्बाला छावनी,AMBALA CANTT,AMBALA,HARYANA,INDIA |
| 4 | अमरजीत सिंह | | | 1. अनुबन्धित कलर्क,नगर निगम अम्बाला छावनी,AMBALA CANTT,AMBALA,HARYANA,INDIA |
| 5 | मेवा सिंह सेवा निवृ ़ित | | | 1. तत्कालिन नायब तहसीलदार,अम्बाला छावनी,AMBALA CANTT,AMBALA,HARYANA,INDIA |
| 6 | राम निवास | | | 1. तत्कालिन रजिस्टरी कलर्क,तहसील अम्बाला छावनी,AMBALA CANTT,AMBALA,HARYANA,INDIA |
| 7 | सुरेन्द्र वर्मा क्लोनाईजर | | | 1. प्रोपर्टी डीलर,अम्बाला छावनी,AMBALA CANTT,AMBALA,HARYANA,INDIA |

**8.** **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

**9.** **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

| S. No. (क्र.सं.) | Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**10.** **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

**11.**

**Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

| S. No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.) |
|---|---|

**12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

श्री मान जी, नकल लेख इस प्रकार है-

सेवा में,

थाना प्रबन्धक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

अम्बाला मण्डल, अम्बाला।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि जांच क्रमांक 01 दिनांक 31.01.2022 अम्बाला, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादी क्रमांक 62/01/2022-4 VII – चौ-।। दिनांक 27.01.2022 की अनुपालना में महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पृष्ठांकन 1602/आई-1/रा.चौ.ब्यू.(ह.) दिनांक 01.02.2022 अनुसार पंजीकृत होकर कार्यालय उप महानिरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला के डायरी क्रमांक 122 दिनांक 02.02.2022 अनुसार पडताल हेतू प्राप्त हुई थी।

जिसमें आरोप था कि गांव बब्याल (अम्बाला छावनी) नजदीक भगत जी के मंदिर के पास सुरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री हीरा नन्द वर्मा वासी म0 नं. 38 कबीर नगर/महेश नगर अम्बाला छावनी, विशाल अग्रवाल पुत्र श्री विजय कुमार ए0बी0 प्रोपर्टीज सोनिया कालोनी, सलाहरेड़ी अम्बाला छावनी व योगेश कुमार पुत्र श्री आनन्द स्वरूप वासी मच्छी मौहल्ला अम्बाला छावनी प्रोपर्टीज डीलरो ने कार्यालय जिला नगर योजनाकार अम्बाला तहसील व नगर परिषद अम्बाला छावनी के अधिकारी/कर्मचारियो से मिलीभगत करके उपरोक्त कृष्णा नगर में बने प्लाटो की रजिस्ट्रीयो को नगर परिषद से जारी फर्जी एन.डी.सी के आधार पर, वर्ष 2012 के कलैक्टर रेट पर कृष्णा नगर/कालोनी का नाम बदलकर बसन्ती माता कालोनी के नाम से रजिस्ट्री करवाकर और नगर परिषद अम्बाला छावनी से बिना नक्शा पास करवाये अवैध रूप से मकान/निर्मल कम्पलैक्स बनाये जाने पर हरियाणा सरकार को करोडो रूप्ये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया है।

जांच से पाया गया कि गांव बब्याल (नजदीक भगत जी के मंदिर के पास अम्बाला छावनी) के हदबस्त 63 के खसरा नं. 17//9/2, 11,13/2, 17//1/3, 2/2, 21//6, 7/1, 21//26, 22//10/2, 13//24, 17//10, 18//3, 4, 6, 7, 8, 13/1, 18//14, 15, 32, 22//1/1, 18//15 पर कृष्णा नगर/निर्मल कम्पलैक्स के नाम से बनाई गई कालोनी हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिसूचित नही है जोकि अवैध कालोनी पाई गई।

जांच के दौरान कार्यालय निदेशक शहरी एंव स्थानीय विभाग हरियाणा सरकार से प्राप्त अधिसूचना नं. DULB/TP/A2/2013/48003-48104 दिनांक 08.11.2013 के अवलोकन से पाया गया कि NDC प्रत्येक नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका द्वारा जारी की जा सकती है, बशर्तः- यह कि नगर परिषद/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा इसका प्रस्ताव पारित किया हो और अवैध कालोनी का सरकार द्वारा नोटिफिकेशन किया हो, उसके उपरान्त नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका की लिमिट के अन्दर रिहायशी प्लाटो के लिये नियमितीकरण निर्धारित फीस व विकास शुल्क तथा अन्य टैक्स प्रति स्केयर मीटर, लेकर NDC जारी करने के लिये प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। नगर निगम में कमीशनर, नगर पालिका में ई.ओ. और नगर पालिका में सचिव NDC जारी करने के लिये सक्षम अधिकारी है।

जांच के दौरान नगर परिषद अम्बाला छावनी में कार्यरत रहे कृष्ण कुमार यादव तत्कालीन सचिव, मोहन लाल लिपिक तथा विक्रम कत्याल व अमरजीत सिंह आऊटसोर्सिंग क्लर्क रैंट शाखा क्लर्क द्वारा वर्ष 2014 में गांव बब्याल में निर्मल कम्पलैक्स के नाम से काटी गई अवैध कालोनी के उपरोक्त खसरा नम्बरो में NDC नं. 79 बुक नं. 10 दिनांक 11.04.2014, NDC नं. 45 बुक नं. 10 दिनांक 07.04.2014, NDC नं. 84 बुक नं. 12 दिनांक 29.04.2014, NDC नं. 38 बुक नं. 13 दिनांक 29.04.2014, NDC नं. 33 बुक नं. 13 दिनांक 29.04.2014, NDC नं. 17 बुक नं. 22 दिनांक 19.05.2014, NDC नं. 53 बुक नं. 24 दिनांक के बिना, NDC नं. 40 बुक नं. 25 दिनांक 06.06.2014 NDC नं. 43 दिनांक 15.07.2014, NDC नं. 34 बुक नं. 18 दिनांक 07.05.2014, NDC नं. 3 बुक नं. 24 दिनांक 20.05.2014, NDC नं. 71 बुक

नं. 22 दिनांक 26.05.2014, NDC नं. 44 बुक नं. 21 दिनांक 15.05.2014, NDC नं. 47 बुक नं. 21 दिनांक 15.05.2014, NDC नं. 46 बुक नं. 21 दिनांक 15.05.2014, NDC नं. 38 बुक नं. 13 दिनांक 29.04.2014 कलोनाईजर/प्रोपटी डीलर सुरेन्द्र वर्मा से मिलीभगत करके, शहरी एंव स्थानीय विभाग हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 19.02.2014 को जारी अधिसूचना व पत्र क्रमांक नं. DULB/TP/A2/2013/48003-48104 दिनांक 08.11.2013 के अनुसार जारी किये गये दिशानिर्देश कि सरकार द्वारा घोषित क्षेत्र मे NDC जारी की जा सकती है, इसके बावजूद दिशानिर्देशो की अवहेलना करते हुये, अपने पदो का दुरूप्रयोग करके उपरोक्त अनाधिकृत कालोनी के उपरोक्त खसरो में 16 NDC जारी की जानी पाई गई।

जांच से उपरोक्त सभी द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित नियमो को ताक पर रखकर व अपने पद का दुरूप्रयोग करके अपने निजी स्वार्थ हेतू अवैध कालोनी के उपरोक्त खसरा नम्बरो की NDC जारी की जानी पाई गई।

जांच के दौरान तहसील अम्बाला से प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार मेवा सिंह मार्च 2014 से दिसम्बर 2014 तक नायब तहसीलदार के पद पर तथा रामनिवास, तत्कालीन रजिस्ट्री क्लर्क तहसील अम्बाला छावनी दिनांक 16.01.2012 से 15.01.2013 तक व दिनांक 29.04.2014 से मई 2015 तक अपनी पोस्टिंग के दौरान उपरोक्त खसरो में बनाई गई अवैध कालोनी के 150 प्लाटो में से लगभग 24 प्लाटो की वसीका नं. 181 दि. 17.4.2014 NDC नं. 79 बुक नं. 10 दिनांक 11.04.2014 के, वसीका नं. 237 दि. 18.04.2014 NDC नं. 45 बुक नं. 10 दिनांक 07.04.2014 के, वसीका नं. 282 दि. 21.04.2014, NDC नं. 45 बुक नं. 10 दिनांक 07.04.2014 के, वसीका नं. 435 दि. 2.05.2014, NDC नं. 84 बुक नं. 12 दिनांक 29.04.2014 के, वसीका नं. 490 दि. 5.05.2014, NDC नं. 38 बुक नं. 13 दिनांक 29.04.2014 के, वसीका नं. 762 दि. 15.05.2014 NDC नं. 33 बुक नं. 13 दिनांक 29.04.2014 के, वसीका नं. 1418 दि. 6.06.2014 NDC नं. 53 बुक नं. 24 दिनांक के बिना, वसीका नं. 1420 दि. 6.06.2014 NDC नं. 53 बुक नं. 24 दिनांक के बिना, वसीका नं. 1517 दि. 12.06.2014 NDC नं. 53 बुक नं. 24 दिनांक के बिना, वसीका नं. 1518 दि.12.06.2014 NDC नं. 40 बुक नं. 25 दिनांक 06.06.2014 के, वसीका नं. 1593 दि. 19.06.2014 NDC नं. 53 बुक नं. 24 दिनांक के बिना, वसीका नं. 2146 दि. 17.07.2014 NDC नं. 43 दिनांक 15.07.2014 के, वसीका नं. 2300 दि. 10.01.2014 बिना NDC नं. के, वसीका नं. 2408 दि. 20.01.2014 बिना NDC नं. के, वसीका नं. 2425 दि. 11.8.2014 NDC नं. 34 बुक नं. 18 दिनांक 07.05.2014 के, वसीका नं. 2803 दि. 29.08.2014 NDC नं. 3 बुक नं. 24 दिनांक 20.05.2014 के, वसीका नं. 2829 दि. 29.8.2014 NDC नं. 71 बुक नं. 22 दिनांक 26.05.2014 के, वसीका नं. 2848 दि. 1.09.2014 NDC नं. 71 बुक नं. 16 दिनांक 26.05.2014 के, वसीका नं. 3598 दि. 3.11.2014 NDC नं. 44 बुक नं. 21 दिनांक 15.05.2014 के, वसीका नं. 3819 दि. 20.11.2014 NDC नं. 47 बुक नं. 21 दिनांक 15.05.2014 के, वसीका नं. 3952 दि. 1.12.2014 NDC नं. 46 बुक नं. 21 दिनांक 15.05.2014 के, वसीका नं. 3955 दि. 01.12.2014 NDC नं. 46 बुक नं. 21 दिनांक 15.05.2014, वसीका नं. 4038 दि .8.12.2014 NDC नं. 38 बुक नं. 13 दिनांक 29.04.2014 के अनाधिकृत खसरो में हरियाणा नगरी क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम 1975 की धारा 7ए के तहत व वितायुक्त एंव प्रधान सचिव हरियाणा राजस्व विभाग हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 3994 दिनांक 28.04.2006 व निदेशक हरियाणा टाऊन एंड कन्टरी प्लानिंग विभाग हरियाणा के पत्र क्रमांक 871-92 दिनांक 21.06.2006 के अनुसार रजिस्ट्री करने से पहले DTP कार्यालय से NOC लेना आवश्यक होने के बावजूद उपरोक्त द्वारा DTP कार्यालय अम्बाला की NOC के बिना, नगर परिषद अम्बाला द्वारा जारी गलत NDC के आधार पर, रिहायशी प्लाटो की उपरोक्त 23 रजिस्ट्रीया रजिस्ट्रर्ड की जानी पाई गई।

जांच से वर्ष 2014 में उपरोक्त अवैध कालोनी के उपरोक्त खसरो की कृष्ण कुमार यादव तत्कालीन सचिव नगर निगम अम्बाला छावनी हाल मानेसर, मोहन लाल तत्कालीन लिपिक नगर परिषद अम्बाला छावनी (सेवानिवृत), विक्रम कत्याल अनुबन्धित क्लर्क व अमरजीत सिंह अनुबन्धित क्लर्क द्वारा कार्यालय निदेशक शहरी एंव स्थानीय विभाग हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना नं. DULB/TP/A2/2013/48003-48104 दिनांक 08.11.2013 में दिये गये दिशानिर्देशो को दरकिनार करते हुये NDC जारी करने पर व मेवा सिंह तत्कालीन नायब तहसीलदार अम्बाला छावनी हाल सेवानिवृत, रामनिवास तत्कालीन रजिस्ट्री क्लर्क तहसील अम्बाला छावनी द्वारा, सुरेन्द्र वर्मा कलोनाईजर/प्रोपटी डीलर व नगर परिषद के उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारियो से मिलीभगत करके, रजिस्ट्री रजिस्ट्रर्ड करने से पहले DTP कार्यालय से NOC न लेकर, सरकार के नियमो की अवहेलना करके, कृष्णा नगर/निर्मल कम्पलैक्स के नाम से अवैध कालोनी की NDC में दर्ज अनाधिकृत खसरा नम्बरो का मिलान न करके और NDC में दिये गये Disclaimer: की ओर ध्यान न देकर, अपने पद का दुरूप्रयोग करके एंव अपने निजी स्वार्थ के लिये उपरोक्त अवैध कालोनी की उपरोक्त रजिस्ट्रीया रजिस्ट्रर्ड करने पर तथा वर्ष 2010-2011 में कलोनाईजर सुरेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा धारा 3 के तहत लांईसैन्स लिये बिना हरि0 अर्बन

ऐरिया अधिनियम नं. 8 ऑफ 1975 की धारा 7 का उल्लघंन करके अपनी पत्नी निर्मला के नाम पर निर्मल कॉम्पलैक्स/कृष्णा नगर, अवैध कालोनी उपरोक्त खसरो में बनाकर धारा 10 का तथा हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन नं0 5254-VDP-70/4086 दिंनाक 14.07.1970 के तहत गांव ब्बयाल तहसील अम्बाला छावनी के उपरोक्त खसरो को घोषित किये गये कन्ट्रोल ऐरिया में बिना CLU लिये हरियाणा नियान्त्रित क्षेत्र अधिनियम नं. 41 ऑफ 1963 की धारा 6 व 7 के प्रावधानो की उल्लघंना करके धारा 12 का अपराध करने पर उपरोक्त सभी द्वारा धारा 420, 120बी, भा.द.स. व 13(1)डी, r/w 13(2) PC एक्ट, 1988 तथा धारा 10 हरि0 अर्बन ऐरिया अधिनियम नं. 8 ऑफ 1975 धारा 12 व पंजाब नियान्त्रित क्षेत्र अधिनियम नं. 41 ऑफ 1963 का अपराध किया जाना पाया गया है।

इस बारे अंतिम रिपोर्ट महानिदेशक राज्य चैकसी ब्यूरो हरियाणा,पंचकुला की टिप्पणी सहित उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 8652/भ्र0नि0ब्यू (ह0) दिनांक 18.05.2023 के अनुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजी गई थी। जिस पर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा उनके कार्यालय के अशाः क्रमांक 62/01/2022-4चौ0(।।) दिनांक 06-07-2023 से व महानिदेशक राज्य चैकसी ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठांक नं. 11928/आई-1/भ्र0नि0.ब्यू.(ह0) दिनांक 12.07.2023 के अनुसार उपरोक्त सभी के विरूद्व उपरोक्त धाराओ के तहत अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त हुये है।

अतः इस सम्बन्ध में उपरोक्त अवैध कालोनी के उपरोक्त खसरो की कृष्ण कुमार यादव तत्कालीन सचिव नगर निगम अम्बाला छावनी हाल मानेसर, मोहन लाल तत्कालीन लिपिक नगर परिषद अम्बाला छावनी (सेवानिवृत), विक्रम कत्याल अनुबन्धित क्लर्क व अमरजीत सिंह अनुबन्धित क्लर्क द्वारा अवैध खसरों में NDC जारी करने तथा मेवा सिंह तत्कालीन नायब तहसीलदार अम्बाला छावनी (सेवानिवृत) व रामनिवास तत्कालीन रजिस्ट्री क्लर्क तहसील अम्बाला छावनी द्वारा अवैध कालोनी में जारी NDC के आधार DTP अम्बाला की NOC के बिना सुरेन्द्र वर्मा कलोनाईजर/प्रोपटी डीलर से मिलीभगत करके अपने पद का दुरूप्रयोग करके अनाधिकृत कालोनी के उपरोक्त खसरो में उपरोक्त रजिस्ट्रीया रजिस्ट्रर्ड करने पर, तथा क्लोनाईजर सुरेन्द्र कुमार वर्मा, द्वारा अवैध कालोनी काटने पर उपरोक्त सभी के विरूद्ध धारा 420, 120बी, भा.द.स. व 13(1)डी, rw13(2) PC एक्ट, 1988 तथा धारा 10 हरि0 अर्बन ऐरिया अधिनियम नं. 8 ऑफ 1975 तथा धारा 12 पंजाब नियान्त्रित क्षेत्र अधिनियम नं. 41 ऑफ 1963 के तहत मुकदमा दर्ज करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक-एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव एंव वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार, राजस्व एंव आपदा प्रबन्धन विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग व प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजी जाये।

Sd. Sube Singh
(सुबे सिंह)
निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
उपकेन्द्र कैथल।
दिनांक 03-08-2023

अज थाना :- लिखित लेख उफरोक्त बा जुर्म उपरोक्त बर खिलाफ (1) कृष्ण कुमार यादव तत्कालीन सचिव नगर निगम अम्बाला छावनी हाल मानेसर (2) मोहन लाल तत्कालीन लिपिक नगर परिषद अम्बाला छावनी (सेवानिवृत) श्री बलबीर सिह लिपिक गृहकर शाखा (3) विक्रम कत्याल अनुबन्धित क्लर्क (4) अमरजीत सिंह अनुबन्धित क्लर्क (5) मेवा सिंह तत्कालीन नायब तहसीलदार अम्बाला छावनी (सेवानिवृत) (6) रामनिवास तत्कालीन रजिस्ट्री क्लर्क (7) सुरेन्द्र वर्मा कलोनाईजर/प्रोपटी डीलर। बाबत उपरोक्त आरोपीगण द्वारा कलोनाईजर/प्रोपटी डीलर से मिलीभगत करके अपने पद का दुरूप्रयोग करके अनाधिकृत कालोनी काटने व रजिस्ट्रीया रजिस्ट्रर्ड करने थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 19 दिनांक 03.08.2023 धारा धारा 420, 120बी, भा.द.स. व 13(1)डी, r/w13(2) PC एक्ट, 1988 तथा धारा 10 हरि0 अर्बन ऐरिया अधिनियम नं. 8 ऑफ 1975 तथा धारा 12 पंजाब नियान्त्रित क्षेत्र अधिनियम नं. 41 ऑफ 1963 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला मण्डल, अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर मुकदमा हजा की स्पैशल रिपोर्ट बादस्त सि. सुरेश कुमार न. 517/अम्बाला के निजद ईलाका मैजिस्ट्रैट साहब अम्बाला भेजा जा रहा है नकल मिसल पुलिस मय असल लेख मय रिकार्ड हवाले अनुसंधानकर्ता निरीक्षक वरिन्द्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां उच्चाधिकारीगण व सम्बंधित की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जायेगी। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया। यह अभियोग उप नि. रघबीर सिंह 91/पंचकुला की हाजरी मे दर्ज किया गया ।

**13.** **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

**(1)** **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or ( या)**

**(2)** **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** VARINDER KUMAR **Rank (पद):** I (Inspector)

**No. (सं.):** 15 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

**(3)** **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

**(4)** **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).**

**F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)**

**R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

**Name (नाम):** Mahabir

**Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

**No. (सं.):** insp

**14.** **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

**15.** **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):**

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )**

**(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

| S. No. (क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height (cms) (कद (से.मी.)) | Complexion (रंग) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Male | | | | | **Is pox pitted:** Yes |
| 2 | Male | | | | | **Is pox pitted:** Yes |
| 3 | Male | | | | | **Is pox pitted:** Yes |
| 4 | Male | | | | | **Is pox pitted:** Yes |
| 5 | Male | | | | | **Is pox pitted:** Yes |
| 6 | Male | | | | | **Is pox pitted:** Yes |
| 7 | Male | | | | | **Is pox pitted:** Yes |

| Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eye (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit (s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Language/Dialect (भाषा/बोली) | Place of (का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे)) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.**

**(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)**